(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
सं. 34/2016-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2016

सा.का.नि. (अ)- केंद्र सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. लघु शीर्ष, विस्तार और प्रारंभन- (1) इन नियमों का नाम आभूषण की मदें (कर का संचय) नियमावली, 2016 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- ये नियम केन्द्रीय टैरिफ अधिनियम, 1985(1986 का 5) के शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाले आभूषणों की मदों अथवा आभूषणों की मदों के हिस्सों अथवा दोनों पर लागू होंगे ।

3. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित नहीं हो-

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) से है;

(ख) "निर्धारण" में निर्धारिती द्वारा किए गए ड्यूटी का स्वनिर्धारण शामिल है;

(ग) "निर्धारिती'' से अभिप्राय है उत्पाद शुल्क लगने योग्य वस्तुओं का निर्माता अथवा प्रधान निर्माता, जैसा भी मामला हो;

(घ) "बोर्ड'' से अभिप्राय केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 (1963 का 54) के अंतर्गत गठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड से है;

(ङ) "ड्यूटी'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत देय ड्यूटी से है;

(च) "वस्तुओं" से अभिप्राय है टैरिफ अधिनियम के शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाली आभूषणों की मदें अथवा आभूषणों की मदों के हिस्से अथवा दोनों जहां "आभूषणों की मदों" अभिव्यक्ति का अभिप्राय वहीं होगा जो टैरिफ अधिनियम के अध्याय 71 के अध्याय नोट 9 के अंतर्गत नियत है ।

(छ) ''जाब वर्क'' से अभिप्राय जाब वर्कर को दी गई कच्ची सामग्री अथवा सेमी फिनिस्ड वस्तुओं पर काम करने से है ताकि संपूर्ण प्रक्रिया के एक हिस्से अथवा पूर्ण हिस्से को पूरा किया जा सके जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाले आभूषणों की मदों अथवा आभूषणों के मदों के हिस्सों अथवा दोनों के निर्माण अथवा उन्हें अंतिम रूप दिए जाने को पूरा किया जा सके;

(ज) "जाब वर्कर" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो कि प्रधान निर्माता द्वारा दिए गए आगतों अथवा वस्तुओं से प्रधान निर्माता की ओर से निर्माण अथवा प्रोसेसिंग के कार्य में लगा रहता है ताकि संपूर्ण प्रक्रिया के एक हिस्से अथवा पूर्ण हिस्से को पूरा किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं के निर्माण को अंतत: पूरा किया जा सके;

(झ) "प्रधान निर्माता" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति (जो कि एक निर्यात अधोमुखी इकाई नहीं है अथवा किसी विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित इकाई नहीं है अथवा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पुन: निर्माण के लिए अथवा रि-कंडीशन के लिए अपना पहले से खरीदे गए सोने अथवा किसी कीमती धातु गहनों अथवा आभूषणों अथवा जड़वाने के उद्देश्य से अपने कीमती रत्नों को देता है) से है जो कि जाब वर्क आधार पर अपनी ओर से आभूषण की मदों को तैयार करवाता है और ऐसे आभूषणों की प्रथम बिक्री करवाता है;

(ञ) "चांदी की जड़ित वस्तुओं" से अभिप्राय है टैरिफ अधिनियम के शीर्ष 7113 के अंतर्गत आने वाले हीरे, माणिक्य, पन्ना, अथवा नीलम से जड़ित चांदी के आभूषणों की मदें जहां "आभूषणों की मदों", अभिव्यक्ति का अभिप्राय वही होगा जो टैरिफ अधिनियम के अध्याय 71 के अध्याय 9 के अंतर्गत नियत है ।

(ट) "टैरिफ अधिनियम" से अभिप्राय केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (1986 का 5) से है;

(ठ) "व्यापारगत वस्तुओं" से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिनपर उनकी प्रथम बार बिक्री के समय समुचित ड्यूटी (जिसमें शून्य डयूटी भी शामिल है) पहले ही अदा कर दी गई है;

(ड) यहां प्रयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है और जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का वही अभिप्राय होगा जो उनका अभिप्राय अधिनियम में है।

4. ड्यूटी के निर्धारण की तारीख- (1) वस्तुओं पर लागू ड्यूटी की दर वह दर होगी जो उस तारीख को लागू है जिस तारीख को ऐसी वस्तुएं निर्माता अथवा प्रधान निर्माता, जैसा भी मामला हो द्वारा उसके पंजीकृत परिसर अथवा केंद्रीयकृत पंजीकृत परिसर अथवा ऐसे केंद्रीयकृत पंजीकृत परिसरों की शाखाओं से पहली बार बेची जाती हैं।

5. ड्यूटी का निर्धारण- उत्पाद शुल्क लगने योग्य वस्तुओं पर देय ड्यूटी का निर्धारण निर्धारिती स्वयं करेगा।

6. भुगतान का तरीका- (1) निर्माता अथवा प्रधान निर्माता, जैसा भी मामला हो द्वारा उसके पंजीकृत परिसर अथवा केंद्रीयकृत पंजीकृत परिसर अथवा ऐसे केंद्रीयकृत पंजीकृत परिसरों की शाखाओं से माह के दौरान पहली बार बेची जाने वाली वस्तुओं पर ड्यूटी का भुगतान अगले माह की 6 तारीख तक किया जाएगा यदि ड्यूटी का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में किया जाता है अथवा किसी अन्य मामले में अगले माह की 5 तारीख तक।

बशर्ते कि निर्माता अथवा प्रधान निर्माता, जैसा भी मामला हो द्वारा उसके पंजीकृत परिसर से मार्च माह के दौरान पहली बार बेची गई वस्तुओं के मामले में ड्यूटी 31 मार्च तक अदा कर दी जाएगी।

बशर्ते यह भी कि जहां कहीं कोई निर्धारिती, किसी वित्त वर्ष में पहली बार बेची गई वस्तुओं की निकासी के मूल्य/वस्तुओं के मूल्य पर आधारित अधिसूचना के अंतर्गत छूट पाने का पात्र है

तो वित्त वर्ष की तिमाही के दौरान पहली बार बेची गई वस्तुओं पर ड्यूटी का भुगतान उस तिमाही के अगले माह की 6 तारीख तक कर दिया जाएगा यदि ड्यूटी का भुगान इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में किया जाता है और अन्य मामले में उस तिमाही के पश्चात के माह की 5 तारीख तक कर दिया जाएगा, सिवाय उन वस्तुओं के जिन्हें 1 जनवरी को शुरू होकर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अंतिम तिमाही के दौरान हटाया जाता है, जिनके संबंध में ड्यूटी का भुगतान 31 मार्च तक किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1. - संदेह दूर करने के लिए एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन में लगा निर्धारिती पात्र होगा यदि पिछले वित्त वर्ष में घरेलू उपभोग संबंधी सभी उत्पाद शुल्क लगने योग्य वस्तुओं जिनकी उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तरीके से गणना की गई है, की निकासी का सकल मूल्य 15 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो।

स्पष्टीकरण 2. - इस परंतुक में विनिर्दिष्ट भुगतान का तरीका, निर्धारिती को संपूर्ण वित्त वर्ष में उपलब्ध कराया जाएगा।

स्पष्टीकरण 3. - इस नियम के आशय से -

(क) ड्यूटी की देयता को पूरा कर लिया गया तभी माना जाएगा यदि देय धनराशि विनिर्दिष्ट तिथि के अंदर केंद्र सरकार के खाते में क्रेडिट कर दी जाती है।

(ख) यदि निर्धारिती चेक के माध्यम से ड्यूटी करवाता है तो इस आशय से केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित बैंक में चेक प्रस्तुत करने की तारीख चेक की उगाही के अद्यधीन वह तारीख मानी जाएगी जिसको ड्यूटी अदा की गई है।

(2) उपनियम (1) में विहित किसी भी बात के बावजूद मार्च, अप्रैल, मई और जून 2016 माह में उसके पंजीकृत परिसरों अथवा केन्द्रीय पंजीकृत परिसरों अथवा ऐसे केन्द्रीय पंजीकृत परिसरों की शाखाओं से पहली बार बिक्री की गई वस्तुओं पर ड्यूटी का भुगतान 31 जुलाई, 2016 तक कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण - संदेह दूर करने के लिए एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ड्यूटी की देयता को पूरा कर लिया गया तभी माना जाएगा यदि देय धनराशि विनिर्दिष्ट तिथि के अंदर केंद्र सरकार के खाते में क्रेडिट कर दी जाती है।

(3) प्रत्येक निर्धारिती इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ड्यूटी का भुगतान इलेक्ट्रानिक रूप में करेगा।

बशर्ते यह कि क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क को लिखित में कारण संसूचित करते हुए कोई निर्धारिती इंटरनेट बैंकिंग के अलावा किसी अन्य माध्यम से ड्यूटी का भुगतान कर सकता है।

(4) यदि निर्धारिती देय तारीख के भीतर ड्यूटी की धनराशि को अदा नहीं करता है तो वह अधिनियम की धारा 11 कक के अंतर्गत जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर पर, पिछली बकाया धनराशि पर देय तारीख के पश्चात पहले दिन से शुरू होकर पिछली बकाया धनराशि के वास्तविक भुगतान की तारीख तक पिछली बकाया धनराशि तथा उस पर लगने वाले ब्याज को अदा करने का दायी होगा।

(5) यदि कोई निर्धारिती उसके द्वारा दी गई विवरणी में घोषित देय ड्यूटी का भुगतान देय तारीख से 1 महीने के भीतर नहीं कर पाता है तो निर्धारिती अदा नहीं किए गए ड्यूटी की इस धनराशि के संबंध में देय तिथि से संगणित प्रत्येक माह अथवा इसके किसी हिस्से के संबंध में

वह अवधि जिसके लिए वह देय धनराशि जमा नहीं करवा पाया है, 1 प्रतिशत की दर से शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के उद्देश्य से "माह" से अभिप्राय है उपनियम (1) अथवा उपनियम (1) के प्रथम परंतुक, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ड्यूटी के भुगतान के लिए दो लगातार देय तारीखों के बीच की अवधि

(6) अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान, नियम 5 के अंतर्गत यथा निर्धारित और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के अंतर्गत दायर विवरणी में उल्लिखित ड्यूटी, उपनियम (4) के अंतर्गत ब्याज और उपनियम (5) के अंतर्गत शास्ति की वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी अन्य ड्यूटी की वसूली अथवा केंद्र सरकार को देय अन्य धनराशि की वसूली के संबंध में लागू होते हैं।

स्पष्टीकरण - इस नियम के उद्देश्य से अभिव्यक्ति "ड्यूटी" अथवा "उत्पाद शुल्क की ड्यूटी" में सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 की शर्तों के अनुसार देय धनराशि भी शामिल होगी।

7. दैनिक स्टॉक का खाता - (1) प्रत्येक निर्धारिती निर्मित और व्यापारगत वस्तुओं की प्राप्ति और बिक्री का अलग-अलग रिकार्ड रखेगा जिसमें दैनिक आधार पर निर्मित वस्तुओं के विवरण का ब्यौरा दर्शाएगा।

(2) निर्मित वस्तुओं के संबंध में निर्धारिती द्वारा रखे जाने वाले सभी रिकार्ड और दस्तावेज जिनमें निर्मित वस्तुओं की प्राप्ति अथवा जाब वर्कर के परिसर से वापस प्राप्त वस्तुओं, घरेलू उपभोग के लिए पंजीकृत परिसरों अथवा केन्द्रीय पंजीकृत परिसरों अथवा ऐसे केन्द्रीय पंजीकृत परिसरों की शाखाओं से प्रथम बार बिक्री की गई निर्माण वस्तुओं की मात्रा, निर्यात के लिए पंजीकृत परिसरों अथवा केन्द्रीय पंजीकृत परिसरों अथवा ऐसे केन्द्रीय पंजीकृत परिसरों की शाखाओं से प्रथम बार बिक्री की गई निर्मित वस्तुओं की मात्रा की आवतियों का रिकार्ड दर्शाया गया है और जिसमें अन्य रिकार्ड और दस्तावेज भी शामिल है, वित्त वर्ष जिससे ये रिकार्ड संबंधित हैं के तुरंत 5 वर्ष पश्चात की अवधि तक इन्हें संभाल कर रखा जाएगा।

(3) व्यापारगत वस्तुओं के संबंध में निर्धारिती द्वारा रख-रखाव किए गए सभी रिकार्ड और दस्तावेजों, जिसमें खरीद के समय उनकी व्यापारगत वस्तुओं के स्टॉक की कीमत दर्शाने वाले रिकार्ड और अन्य रिकार्ड और दस्तावेज भी शामिल हैं, वित्त वर्ष जिससे ये रिकार्ड संबंधित हैं के तुरंत 5 वर्ष पश्चात की अवधि तक इन्हें संभाल कर रखा जाएगा।

(4) इस नियम के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा निर्मित और व्यापारगत वस्तुओं का रख-रखाव किए जाने संबंधी सभी रिकार्डों को भार और कार्टेज आधार पर रखा जाएगा।

(5) निर्धारिती के पास विकल्प है की इस नियम के अंतर्गत रिकार्डों को इलेक्ट्रानिक रूप में रखे और इस प्रकार से रखे गए रिकार्ड का प्रत्येक पृष्ठ डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

8. इनवायस के आधार पर हटाई जाने वाली वस्तुएं - (1) निर्धारिती द्वारा उसके पंजीकृत परिसरों अथवा केंद्रीयकृत पंजीकृत परिसरों अथवा ऐसे केंद्रीयकृत पंजीकृत परिसरों की शाखाओं से

प्रथम बार बिना इनवायस के (यहां "प्रथम बिक्री इनवायस" के रूप में संदर्भित) किसी भी उत्पाद शुल्क लगने योग्य वस्तु की बिक्री नहीं की जाएगी।

(2) पहली बिक्री इनवायस पर निर्धारिती अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उस पर क्रम सं. डाली जाएगी। इस प्रकार की इनवायस पर पंजीकरण सं., कंसाइनी का नाम, वस्तुओं का विवरण, वर्गीकरण तथा बिक्री द्वारा हटाए जाने की तारीख भी लिखी जाएगी।

(3) प्रथम बिक्री इन्वायस निर्मित और व्यापारगत वस्तुओं का अलग-अलग प्रदर्शित मूल्य दर्शाएगी ताकि निर्मित वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क का आकलन किया जा सके।

(4) इनवायस दो प्रतियों में और निम्नलिखित तरीके से तैयार की जाएगी, अर्थात :-

(i) मूल प्रति को **क्रेता के लिए मूल प्रति के रूप में** रेखांकित किया जाएगा;

(ii) दूसरी प्रति को **निर्धारिती के लिए दूसरी प्रति** के रूप में रेखांकित किया जाएगा;

(5) डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इन्वायस के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के प्रावधान यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इन नियमों के अंतर्गत डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इन्वायस के संबंध में लागू होंगे ।

9. आभूषण की मदों अथवा आभूषण की मदों के हिस्सों के संबंध में जाब वर्क - (1) कोई प्रधान निर्माता जो जाब वर्क आधार पर अपनी ओर से वस्तुओं का निर्माण करवाता है, ऐसी वस्तुओं के संबंध में पंजीकरण करवाएगा, खाते का रख-रखाव करेगा, इस पर लगने वाली ड्यूटी अदा करेगा तथा इन नियमों के संगत प्रावधानों की कि इस प्रकार अनुपालना करेगा जैसे वह एक निर्धारिती हो ।

(2) उक्त प्रधान निर्माता किसी जाब वर्कर को किसी आगत अथवा वस्तुओं की आपूर्ति करेगा अथवा करवाएगा ताकि प्रक्रिया आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पूरी हो सके जिसके परिणाम स्वरूप आभूषण की मदों अथवा आभूषण की मदों के हिस्से अथवा दोनों का निर्माण हो सके तथा यह कार्य वह चालान के अंतर्गत, वाउचर जारी करके अथवा किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से करेगा जिसमें उक्त प्रधान निर्माता अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट द्वारा यथावत् हस्ताक्षर किया हुआ निम्नलिखित ब्यौरा होना चाहिए :

(क) प्रधान निर्माता का नाम और पंजीकरण सं. ;

(ख) आगत अथवा वस्तुओं का विवरण और मात्रा ;

(ग) आगत अथवा वस्तुएं ले जाने वाले व्यक्ति का नाम तथा जिसके साथ उसके हस्ताक्षर और पहचान का सबूत हो; और

(घ) आगतों अथवा वस्तुओं की आपूर्ति की तारीख।

(3) प्रधान निर्माता को जाब वर्कर को आपूर्ति गई आगतों अथवा वस्तुओं का तथा जाब वर्कर द्वारा लौटाए गए आगतों अथवा वस्तुओं का रिकार्ड रखना पड़ेगा।

(4) जाब वर्कर को अपने-आप को पंजीकृत कराने की अपेक्षा नहीं होगी और उसे इन नियमों के अंतर्गत जाब वर्क करने के मुख्य उद्देश्यों के संबंध में की गई प्रक्रिया को दर्शाने के लिए कोई रिकार्ड रखना अपेक्षित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :- संदेह दूर करने के लिए यहां एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी वस्तुओं की प्रथम बार बिक्री से पूर्व किसी भी समय कोई वस्तुएं अथवा उनका कोई हिस्सा गुम हो जाता है, खराब हो जाता है, कम पड़ जाता है तो प्रधान निर्माता उन वस्तुओं पर उस ड्यूटी को अदा करने के लिए दायी होगा जो पंजीकृत परिसरों अथवा केन्द्रीय पंजीकृत परिसरों अथवा ऐसे केन्द्रीय पंजीकृत परिसरों की शाखाओं से पहली बार बिक्री के लिए घरेलू उपभोग के लिए निकासी की गई होती और यह डयूटी कच्चे माल की कीमत तथा जाब वर्क की लागत के योग के मूल्य पर ली जाएगी जिसका भुगतान प्रधान निर्माता द्वारा किया गया हो यदि उसमें वस्तुओं का निर्माण जाब वर्क के आधार पर कराया हो। अन्य मामलों में इन वस्तुओं का मूल्य कच्चे माल की कीमततथा बनावट की लागत के योग के बराबर होगा ।

10. कतिपय आशय के लिए आगतों अथवा सेमी फिनिस्ड वस्तुओं अथवा फिनिस्ड वस्तुओं को हटाया जाना - (1) कोई निर्माता अथवा प्रधान निर्माता, जैसा भी मामला हो किन्हीं आगतों, सेमी फिनिस्ड वस्तुओं अथवा फिनिस्ड वस्तुओं को आगे की प्रोसेसिंग, परीक्षण, मरम्मत, रि-कंडीशनिंग, हॉल मार्किंग, प्रदर्शनी में रखे जाने अथवा किसी और अन्य उद्देश्य जिसमें सेंपल भी शामिल हैं, को हटाकर किसी अन्य परिसरों पर ड्यूटी के भुगतान किए बिना ले जा सकता है तथा यह कार्य वह चालान के अंतर्गत, वाउचर जारी करके अथवा किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से करेगा जिसमें उक्त प्रधान निर्माता अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट जैसा भी मामला हो, द्वारा यथावत् हस्ताक्षर किया हुआ निम्नलिखित ब्यौरा होना चाहिए :

(क) निर्माता अथवा प्रधान निर्माता, जैसा भी मामला हो, का नाम और पंजीकरण सं. ;

(ख) वस्तुओं का विवरण और मात्रा ;

(ग) वस्तुएं ले जाने वाले व्यक्ति का नाम तथा जिसके साथ उसके हस्ताक्षर और पहचान का सबूत हो; और

(घ) हटाने की तारीख।

(2) उप नियम (1) में संदर्भित वस्तुओं की निकासी या वापस लाने की जिम्मेवारी संबधित निर्माता अथवा प्रधान निर्माता, जैसा भी मामला हो, की होगी।

11. कतिपय प्रक्रियाओं के लिए ड्यूटी अदा की गई वस्तुओं की प्राप्ति - (1) जहां कहीं ऐसी वस्तुएं जिनपर निर्धारिती द्वारा उनके पंजीकृत परिसरों अथवा केंद्रीयकृत पंजीकृत परिसरों अथवा ऐसे केंद्रीयकृत पंजीकृत परिसरों की शाखाओं से पहली बार बिक्री के समय ड्यूटी अदा कर दी गई है, को वापस लाया जाता है, के संबंध में निर्धारिती अपने रिकार्ड में ऐसी प्राप्ति के विवरण का उल्लेख करेगा कि जैसे कि ये व्यापारगत वस्तुएं है तथा इन्हें व्यापारगत स्टाक के लेखे में दर्शाएगा बशर्ते कि उत्पाद शुल्क की वापसी का कोई दावा नहीं किया जाता है।

12. वैकल्पिक योजना - (1) नियम (7) के उपनियम (1) अथवा नियम (8) के उपनियम (3) में विहित किसी भी बात के बावजूद निर्माता अथवा प्रधान निर्माता, जैसा भी मामला हो, जो उत्पादित तथा व्यापार गत वस्तुओं दोनों में लेने देन करता हो अपने विकल्प पर पिछले वित्त वर्ष की 28 फरवरी तक क्षेत्राधिकार प्राप्त उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को लिखित घोषणा करते हुए

किसी माह के दौरान अपनी प्रथम बिक्री को निर्मित वस्तुओं की बिक्री के रूप में मानते हुए अपने प्रथम बिक्री मूल्य पर भी उत्पाद शुल्क का भुगतान करेगा यदि माह के दौरान ऐसी बिक्री की मात्रा ऐसे माह के शुरू में निर्मित आभूषणों के आरंभिक स्टाक से कम है अथवा समतुल्य है।

बशर्ते यह है कि इस प्रकार के लिखित घोषणा वित्त वर्ष 2016-17 के संबंध में सहायक आयुक्त या उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , जैसा भी मामला हो, को 31 जुलाई, 2016 तक दे दी जाए ।

और बशर्ते कि 1 मार्च, 2016 से आरंभ 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के लिए यह घोषणा 31 जुलाई, 2016 तक दी जाएगी ।

(2) उपनियम(1) के अंतर्गत, निर्माता या प्रधान निर्माता जैसा भी मामला हो, द्वारा दिया गया विकल्प पूरे वित्त वर्षतक वैध रहेगा ।

(3) उपनियम (1) के अंतर्गत वैकल्पिक योजना का फायदा उठाने के लिए, निर्माता या प्रधान निर्माता, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित रिकार्ड का रख रखाव करेगा :-

(क) चांदी जड़े आभूषणों; सोने अथवा प्लैटिनम आभूषणों जिनपर हीरे जड़े हों; और अन्य सोने और प्लेटिनम के आभूषणों का अलग-अलग भार या कार्टेज के आधार पर स्टॉक ब्यौरे का रिकार्ड;

(ख) अपनी खरीद कीमत पर अपने व्यापारगत स्टॉक के मूल्य का रिकार्ड;

(4) उपनियम (3) में उल्लिखित 3 तरह की वस्तुओं के आरंभिक स्टॉक, बिक्री तथा समापन स्टॉक की गणना उत्पाद शुल्क के आकलन के लिए अलग-अलग की जाएगी ।

(5) किसी माह के दौरान निर्मित वस्तुओं के आरंभिक स्टाक से अधिक स्टाक की बिक्री को उन व्यापारगत वस्तुओं की बिक्री माना जाएगा जिनपर कोई उत्पाद शुल्क देय नहीं होगा।

(6) यदि किसी माह के दौरान बिक्री निर्मित वस्तुओं के आरंभिक स्टाक तथा व्यापारगत वस्तुओं के आरंभिक स्टाक के योग से अधिक है, तो ऐसी अधिक बिक्री को उस माह में प्राप्त निर्मित वस्तुएं माना जाएगा तथा शेष को उस माह के दौरान प्राप्त व्यापारगत वस्तुएं माना जाएगा।

(7) यदि किसी माह के दौरान बिक्री निर्मित वस्तुओं के आरंभिक स्टाक से कम है तो निर्मित वस्तुओं के शेष स्टाक को अग्रेणित किया जाएगा तथा अनुवर्ती माह की निर्मित वस्तुओं का आरंभिक स्टाक, पिछले माह के दौरान निर्मित वस्तुओं के इस प्रकार के अग्रेणित स्टाक अथवा जाब वर्कर के परिसर से प्राप्त वस्तुओं अथवा निर्मित वस्तुओं का कुल योग होगा।

निम्नलिखित उदाहरण उपरोक्त नियमों को निर्देशित करते हैं (सभी आंकडे किलोग्राम में हैं) :

उदाहरण 1- एक निर्माता या प्रधान निर्माता :

के पास 1 अप्रैल को आरंभिक स्टाक	निर्मित स्टाक	व्यापारगत स्टाक
चांदी की जड़ी वस्तुएं	60	20
हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	30	20
अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	20	20

अप्रैल माह के दौरान बिक्री	कुल बिक्री
चांदी की जड़ी वस्तुएं	50
हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	20
अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	10

अप्रैल माह के दौरान प्राप्त	निर्मित स्टाक	व्यापारगत स्टाक
चांदी की जड़ी वस्तुएं	60	10
हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	30	30
अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	20	40

चूंकि माह के दोरान तीनों तरह की वस्तुओं की बिक्री निर्मित वस्तुओं के आरंभिक स्टाक से कम है इसलिए इन्हें निर्मित वस्तुओं की बिक्री माना जाएगा, जैसा नीचे संक्षेपित है :-

वस्तुओं की मात्रा जिसे अप्रैल में बिक्री माना जाएगा	निर्मित स्टाक	व्यापारगत स्टाक
चांदी की जड़ी वस्तुएं	50	0
हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	20	0
अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	10	0

निर्माता या प्रधान निर्माता द्वारा अप्रैल माह के लिए देय डयूटी, 50 किलोग्राम चांदी जड़ित वस्तुओं, 20 किलोग्राम हीरे से जड़ी जोने तथा प्लेटिनम की वस्तुएं तथा 10 किलोग्राम सोने या प्लेटिनम की अन्य वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क का योग होगा ।

तीनों वस्तुओं के संदर्भ में निर्माता या प्रधान निर्माता के पास, अप्रैल माह के दौरान हुई बिक्री को घटाकर, 30 अप्रैल को निर्मित तथा व्यापारगत वस्तुओं का समापन स्टाक , जो कि 1 मई का आरंभिक स्टाक भी होगा, निम्नलिखित है:-

30 अप्रैल का समापन स्टाक /1 मई का आरंभिक स्टाक	निर्मित स्टाक	व्यापारगत स्टाक
चांदी की जड़ी वस्तुएं	70	30
हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	40	50

अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	30	60

उदाहरण 2 : एक निर्माता या प्रधान निर्माता :

के पास 1 अप्रैल को आरंभिक स्टाक	निर्मित स्टाक	व्यापारगत स्टाक
चांदी की जड़ी वस्तुएं	60	20
हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	30	20
अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	20	20

अप्रैल माह के दौरान बिक्री	कुल बिक्री
चांदी की जड़ी वस्तुएं	70
हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	40
अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	30

अप्रैल माह के दौरान प्राप्त	निर्मित स्टाक	व्यापारगत स्टाक
चांदी की जड़ी वस्तुएं	60	10
हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	30	30
अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	20	40

चूंकि माह के दौरान तीनों तरह की वस्तुओं की बिक्री, आरंभिक स्टाक से अधिक है, हर वस्तु के आरंभिक स्टाक के बराबर प्रथम ब्रिक्री को निर्मित वस्तुओं की बिक्री समझा जाएगा ,जैसा नीचे संक्षेपित है:

वस्तुओं की मात्रा जिसे अप्रैल में बिक्री माना जाएगा	निर्मित स्टाक	व्यापारगत स्टाक
चांदी की जड़ी वस्तुएं	60	10
हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	30	10
अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	20	10

ऐसे निर्माता या प्रधान निर्माता द्वारा अप्रैल माह के लिए देय कुल उत्पाद शुल्क 60 किलोग्राम चांदी जड़ित वस्तुओं , 30 किलोग्राम हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुओं तथा 20 किलोग्राम अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क का योग होगा ।

तीनों वस्तुओं के संदर्भ में निर्माता या प्रधान निर्माता के पास, अप्रैल माह के दौरान की बिक्री घटाकर, 30 अप्रैल को निर्मित या व्यापारगत वस्तुओं का समापन स्टाक , जो कि 1 मई का आरंभिक स्टाक भी होगा निम्नलिखित है:

30 अप्रैल का समापन स्टाक /1 मई का आरंभिक स्टाक	निर्मित स्टाक	व्यापारगत स्टाक
चांदी की जड़ी वस्तुएं	60	20
हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	30	40
अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	20	50

उदाहरण 3 : एक निर्माता या प्रधान निर्माता :

के पास 1 अप्रैल को आरंभिक स्टाक	निर्मित स्टाक	व्यापारगत स्टाक
चांदी की जड़ी वस्तुएं	60	20
हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	30	20
अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	20	20

अप्रैल माह के दौरान बिक्री	कुल बिक्री
चांदी की जड़ी वस्तुएं	70
हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	60
अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	30

अप्रैल माह के दौरान प्राप्त	निर्मित स्टाक	व्यापारगत स्टाक
चांदी की जड़ी वस्तुएं	60	10
हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	30	30
अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	20	40

इस मामले में , माह के दौरान तीनों तरह की वस्तुओं की बिक्री निर्मित वस्तुओं के आरंभिक स्टाक से अधिक है हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिम की वस्तुओं की बिक्री निर्मित ओर व्यापारगत वस्तुओं के आरंभिक स्टाक के योग से भी अधिक है ।

"चांदी की जड़ी वस्तुओं" तथा ''सोने या प्लेटिनम' की अन्य वस्तुओं'' के बराबर प्रथम बिकी को निर्मित ''चांदी की जड़ी वस्तुओं' और ''सोने या प्लेटिनम की अन्य वस्तुओं '' की बिक्री माना जाएगा ।

तो भी ''हीरे से जड़े सोने या प्लेटिनम की वस्तुओं'' के संदर्भ में , 60 किलो की बिक्री को पहले निर्मित वस्तुओं के आरंभिक स्टाक में गिना जाएगा (अर्थात 30 किलोग्राम), उसके बाद व्यापार गत वस्तुओं के आरंभिक स्टाक में (अर्थात 20 किलोग्राम) और शेष (अर्थात 10 किलोग्राम) को माह के दौरान प्राप्त निर्मित वस्तुओं में गिना जाएगा, जो निम्नलिखित है :-

वस्तुओं की मात्रा जिसे अप्रैल में बिक्री माना जाएगा	निर्मित स्टाक	व्यापारगत स्टाक
चांदी की जड़ी वस्तुएं	60	10
हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	40	20
अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	20	10

ऐसे निर्माता या प्रधान निर्माता द्वारा अप्रैल माह के लिए देय कुल उत्पाद शुल्क, 60 किलो चांदी की जड़ी वस्तुओं , 40 किलो हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुओं और 20 किलो सोने या प्लेटिनम की अन्य वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क का योग होगा ।

तीनों वस्तुओं की संदर्भ में,निर्माता या प्रधान निर्माता के पास अप्रैल माह के दौरान बिक्री को घटाकर , 30 अप्रैल को निर्मित और व्यापारगत वस्तुओं का समापन स्टाक, जो 1 मई का आरंभिक स्टाक भी है,निम्नलिखित होगा:

30 अप्रैल का समापन स्टाक /1 मई का आरंभिक स्टाक	निर्मित स्टाक	व्यापारगत स्टाक
चांदी की जड़ी वस्तुएं	60	20
हीरे से जड़ी सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	20	30
अन्य सोने या प्लेटिनम की वस्तुएं	20	50

स्पष्टीकरण 1- इस विकल्प के परियोजन से, निर्माता अथवा प्रधान निर्माता जैसा भी मामला हो द्वारा किए गए निर्यात को माह के दौरान निर्मित स्टाक की बिक्री में गिना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2- संदेह दूर करने के लिए एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीयकृत पंजीकरण वाले निर्माता अथवा प्रधान निर्माता, जैसा भी मामला हो, की 2 शाखाओं जिनमें बिक्री का घटक शामिल नहीं है, के बीच स्टाक के अंतरण के मामले में स्टाक अंतरण की अवस्था में कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा बशर्ते इस प्रकार स्टाक अंतरित निर्मित वस्तुएं अथवा व्यापारगत

वस्तुएं प्राप्तकर्ता शाखा के निर्मित वस्तुओं अथवा व्यापारगत वस्तुओं के तद्नुरूपी स्टाक में जोड़ी जाती हैं।

13. स्लो मूविंग आभूषणों का स्टाक ("डैड स्टाक ") - (1) कोई निर्धारिती जो निर्मित और व्यापारगत वस्तुओं का अलग-अलग स्टाक रखता है और अपनी प्रथम बिक्री इनवायस में ऐसी निर्मित और व्यापारगत वस्तुओं का मूल्य अलग-अलग दर्शाता है वह अपने डैड स्टाक को, इस बात पर निर्भर करते हुए कि क्या इस प्रकार का डैड स्टाक निर्मित वस्तुओं अथवा व्यापारगत वस्तुओं के तद्नुरूपी स्टाक से है, निर्मित वस्तुओं अथवा व्यापारगत वस्तुओं के रूप में मानेगा।
(2) यदि कोई निर्धारिती नियम (12) के अंतर्गत वैकल्पिक योजना के अनुसार उत्पाद शुल्क अदा करने का विकल्प देता है, यदि किसी विशेष विवरणी चक्र के संबंध में सिल्वर जड़ित वस्तुओं ; सोने अथवा प्लैटिनम की वस्तुएं जिन पर हीरे जड़े हो ; और अन्य सोने अथवा प्लैटिनम की वस्तुएं जिन पर ड्यूटी अदा कर दी गई है अथवा जिनका उस विवरणी चक्र के अंत तक निर्यात कर लिया गया है, की संचयी बिक्री, उस विवरणी चक्र के अंत तक निर्मित स्टाक की संचयी आवतियों से अधिक है तो संपूर्ण डैड स्टाक को व्यापारगत वस्तुओं के रूप में माना जाएगा और इस प्रकार के डैड स्टाक से कृत नई वस्तुएं, निर्माता अथवा प्रधान निर्माता जैसा भी मामला हो, को वापस प्राप्त होने पर उसके व्यापारगत स्टाक का हिस्सा बनेंगे।
(3) एक निर्धारिती जो नियम (12) के अंतर्गत वैकल्पिक येाजना के अनुसार उत्पाद शुल्क देने का विकल्प चुनता है के लिए, किसी विशेष विवरणी चक्र के अंत तक किसी विशेष प्रकार की वस्तुओं की संचयी ब्रिक्री जिस पर डयूटी अदा कर दी गई हो या जिसका निर्यात किया गया हो, उस विवरणी चक्र के अंत तक निर्मित वस्तुओं की संचयी प्राप्तियों से कम हो , तो उस विवरणी चक्र के अंत तक उन वस्तुओं के डेड स्टाक को, उस विवरणी चक्र के अंत तक निर्मित स्टाक की संचयी प्राप्ति और संचयी ब्रिक्री के अंतर के बराकर, निर्मित वस्तुओं के लिए माना जाएगा तथा शेष को व्यापारगत वस्तुओं के लिए माना जाएगा ।

उदाहरण - तिमाही के अंत में डैड स्टाक की ट्रीटमेंट के संबंध में 2 वैकल्पिक परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है:

- परिस्थिति 1-विवरणी चक्र के अंत में संचयी बिक्री, निर्मित वस्तुओं की संचयी आवतियों से अधिक है:

(i) तिमाही के अंत में निर्मित वस्तुओं की संचयी आवतियां 100 किलोग्राम के बराबर है
(ii) तिमाही के अंत में संचयी बिक्री 110 किलोग्राम के बराबर है (जिसमें से निर्माता अथवा प्रधान निर्माता जैसा भी मामला हो, ने 100 किलोग्राम पर उत्पाद शुल्क अदा किया है)
(iii) तो ऐसी तिमाही के अंत में डैड स्टाक को व्यापारगत स्टाक के रूप में माना जाएगा तथा इसके वापिस प्राप्त होने पर इस डैड स्टाक से बनाए गए नए वस्तुओं को व्यापारगत स्टाक का हिस्सा माना जाएगा।

- परिस्थिति 2- विवरणी चक्र के अंत में संचयी बिक्री, निर्मित वस्तुओं की संचयी आवतियों से कम है:

(i) तिमाही के अंत में निर्मित वस्तुओं की संचयी आवतियां 100 किलोग्रामके बराबर हैं ।

(ii) तिमाही के अंत में संचयी बिक्री 90 किलोग्राम के बराबर हैं (जिनपर निर्माता अथवा प्रधान निर्माता जैसा भी मामला हो, ने 90 किलोग्राम पर उत्पाद शुल्क अदा किया है)।

(iii) तो इसमें से 10 किलोग्राम(100 किलोग्राम-90 किलोग्राम)को निर्मित स्टाक माना जाएगा तथा वापिस प्राप्त होने पर इस डेड स्टाक से निर्मित नई वस्तुएं उसके निर्मित स्टाक का हिस्सा बनेंगे। तिमाही के अंत में 10 किलोग्राम से अधिक चांदी के जड़े वस्तुओं को व्यापार गत स्टाक माना जाएगा।

14. यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होने वाले प्रावधान - यहां उपबंधित प्रावधानों को छोंड़कर इस अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के सभी प्रावधान, जिसमें पंजीकरण, विवरणी दायर करने, बिना भुगतान किए निर्यात करने और देय राशि की वसूली शामिल है, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

[फा. सं. 354/25/2016-टीआरयू (पार्ट-1)]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार